एन एच पी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)

CIN: L40101HR1975GOI032564

पंजीकृत कार्यालय: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
ई–मेल: nhpc.jpcl@nhpc.nic.in, ईपीएबीएक्स नं.: 0129-2588110 / 2588500,
वेबसाइट: www.nhpcindia.com

एनएचपीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित किए जाने के संबंध में सूचना

1. सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 18 जून, 2025 के स्पष्टीकरण पत्र ("एमसीए आदेश") के साथ पठित दिनांक 22 मई, 2025 के आदेश के अनुसरण में और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर) के सभी लागू प्रावधानों, एमसीए द्वारा जारी दिनांक 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 और तत्संबंधी अन्य परिपत्रों और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के अनुपालन में एनएचपीसी लिमिटेड के **इक्विटी शेयरधारकों की बैठक सोमवार, दिनांक 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे (भारतीय समयानुसार)** वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित माना जाएगा। इस बैठक का उद्देश्य एनएचपीसी लिमिटेड (ट्रांसफरी कंपनी) के साथ जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ट्रांसफरर कंपनी) और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच समामेलन की योजना पर विचार करना और यदि उचित हो तो संशोधन या बिना संशोधन के साथ अनुमोदित करना है।
2. एमसीए के आदेशों और सुसंगत परिपत्रों के अनुपालन में, बैठक की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से 31.03.2024 (अर्थात एमसीए द्वारा निर्धारित कट–ऑफ तिथि) के सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास पंजीकृत हैं। बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर और ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात के फिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड (के फिन) की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध होगी।
3. ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका:
   क) सदस्यों को बैठक में विचारार्थ संकल्प (पों) पर या तो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से (अर्थात बैठक से पहले वोट डालने की सुविधा) या बैठक के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने का अवसर मिलेगा। कंपनी की बैठक से पहले रिमोट ई–वोटिंग या कंपनी की बैठक के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से डिमटेरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए वोट देने का तरीका बैठक की सूचना में दिया जाएगा। इसका विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
   ख) ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सूचना में दिए गए विभिन्न तरीकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे ई–मेल के माध्यम से भेजा जाएगा और कंपनी की वेबसाइट पर भी इसे उपलब्ध कराया जाएगा।
4. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी ईमेल आईडी और/या केवाईसी विवरण निम्नानुसार अपडेट/पंजीकृत करें:
   क) डिमटेरियलाइज्ड मोड में रखे गए शेयरों के मामले में–अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार, अपने संबंधित डीपी के साथ अपनी ईमेल आईडी और/या केवाईसी विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।
   ख) फिजिकल मोड में रखे गए शेयरों के मामले में–विधिवत भरा हुआ फॉर्म आईएसआर –1 जमा करके कंपनी/आरटीए के साथ ईमेल और/या केवाईसी विवरण पंजीकृत/अपडेट करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com का अवलोकन करें।

कंपनी के सभी सदस्यों के लाभ के लिए उपर्युक्त जानकारी जारी की जा रही है तथा यह अधिनियम और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में है।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-

दिनांक: अगस्त 25, 2025 (अमित गुप्ता)
स्थान : फरीदाबाद प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

!!कृपया ध्यान दें!!

1. जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना केवाईसी अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे केवाईसी–पैन (आधार से लिंक), पिन कोड के साथ पता, बैंक विवरण, नामांकन, मोबाइल और ईमेल आईडी को डीपी (इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग के मामले में)/आरटीए (भौतिक होल्डिंग के मामले में) के माध्यम से अद्यतन करें।
2. जिन शेयरधारकों का अंतरण अनुरोध दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्यथा के कारण दिनांक 01.04.2019 से पहले अस्वीकृत/वापस कर दिया गया/नहीं लिया गया और जो दिनांक 31.03.2021 तक अंतरण का अनुरोध पुनः दर्ज नहीं कर सके, उनसे अनुरोध है कि वे दिनांक 06.01.2026 तक कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास इसे पुनः दर्ज करा दें।
3. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने अप्रदत्त लाभांश (शों) का दावा करें, ताकि निम्न परिस्थितियों से बचा जा सके:
   - विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) को किसी भी अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश का हस्तांतरण, जो 7 वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावाकृत रहा हो;
   - आईईपीएफ प्राधिकरण को उन शेयरों का हस्तांतरण जिनके संबंध में लगातार 7 वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान

(विश्वविद्यालय समतुल्य)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त संगठन, भारत सरकार
गोवंडी स्टेशन रोड, देवनार, मुंबई–400088, संपर्क विवरण: टेलीफोन: 91–22–42372428
ईमेल: distanceeducation@iipsindia.ac.in; वेबसाइट: www.iipsindia.ac.in

दूरस्थ कार्यक्रम के लिए प्रवेश घोषणा – शैक्षणिक सत्र जुलाई-अगस्त, 2025 हेतु

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान(आईआईपीएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत 1956 में स्थापित स्वायत्त संगठन, शैक्षणिक वर्ष जुलाईदृअगस्त 2025–2026 के लिए जनसंख्या अध्ययन कार्यक्रम (दूरस्थ माध्यम) में एम.ए. प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 15 सितंबर 2025

अधिक जानकारी के लिए, कृपया **www.iipsindia.ac.in** पर जाएँ

निदेशक एवं वरिष्ठ प्रोफेसर (अतिरिक्त प्रभार)

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

ई-नीलामी नोटिस

उपरोक्त के संदर्भ में रायपुर मंडल से कमाई और पट्टे के ठेकों के लिए ई-नीलामी निम्नानुसार आमंत्रित की गई है:

Sr. No.	Assets Description	Auction Date	Auction Time	
1	भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर दो और चार पहिया वाहन पार्किंग स्टैंड के लिए निविदा।	28.08.2025	15.00	15.30
2	दुर्ग एवं भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में पे एंड यूज शौचालय के लिए निविदा।	03.09.2025	15.00	15.30
3	दुर्ग रेलवे स्टेशन पर आपातकालीन चिकित्सा कक्ष की स्थापना के लिए निविदा।	04.09.2025	12.00	12.30
4	तिल्दा रेलवे स्टेशन पर दो पहिया एवं चार पहिया वाहन पार्किंग हेतु निविदा।	04.09.2025	12.00	12.30

सभी ई-नीलामी अधिसूचना का विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर अपलोड किया गया है।

मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक
PR/R/SR.DCM/AAA/145 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर

South East Central Railway @secrail

KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED

CIN: L24241UP1981PLC005282 Regd. Office: 51/47, Nayaganj, Kanpur-208001
Ph.: +91 9415330630; Email: kelknp@yahoo.com; Website: www.khandelwalextractions.com

PUBLIC NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, 24th September, 2025 at 4:00 P.M. at 50 MIG Bungalow, W Block, Keshav Nagar, Kanpur-208014 to transact the business as set out in the Notice.

The 43rd AGM notice along with the Annual Report 2024-25 will be sent only by email to all those members whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA or with their respective Depository Participants (DP). A letter containing the weblink, including the exact path to access the complete details of Annual report, is being sent to the shareholder who have not registered their email address with the Company's RTA or DP.

Book Closure- Notice is further given that pursuant to section 91 of companies act read with clause 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations,2015, the register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 18th September, 2025 to Wednesday, September 24th, 2025 (both days inclusive) in view of ensuing Annual General Meeting.

E-Voting- The Company would be providing remote e-voting facility to its members to enable them to cast their votes on the resolutions set out in the Notice of the AGM. The Company has engaged the services of CDSL for providing this facility to the Members. Detailed instructions in this regards will form part of the Notice of the AGM.

(i) The businesses, as set out in the Notice of the 43rd AGM, will be transacted through voting by electronic means or voting during AGM through Ballot.

(ii) The remote e-voting will commence on Sunday, 21st September, 2025 at 10:00 A.M. (IST) and will end on Tuesday, 23rd September, 2025 at 5:00 P.M. (IST).

(iii) The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through the e-voting system during the 43rd AGM is 17th September, 2025.

(iv) Any member of the company who has become the member after the dispatch of notice but before the cut-off date may obtain their user id and password for remote e-voting from the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or CDSL.

(v) The instructions for casting vote through remote e-voting or voting during AGM are provided in the notice of 43rd AGM.

The 43rd AGM Notice along with Annual Report 2024-25 will be made available on the website of the Company at www.khandelwalextractions.com, on the website of BSE Ltd. at www.bseindia.com and website of CDSL at www.evotingindia.com.

For Khandelwal Extractions Limited
Nida Khatoon
Company Secretary & Compliance Officer
M. No. A70498

Place: Kanpur
Date: 26.08.2025

राइट्स लिमिटेड

(एक नवरत्न सीपीएसई)

पंजीकृत कार्यालय: स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092
वेबसाइट: www.rites.com; ईमेल: cs@rites.com
सीआईएन: L74899DL1974GOI007227

51वीं वार्षिक आम बैठक के लिए शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राइट्स लिमिटेड के सदस्यों की 51वीं वार्षिक आम बैठक **मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (आईएसटी)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा, जिसे अलग से परिचालित किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनियों को सदस्यों की किसी एक स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति है। इन परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुसार कंपनी/डिपॉजिटरी में पंजीकृत हैं। सदस्यगण ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.rites.com** और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। एजीएम में शामिल होने से संबंधित अनुदेश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(ख) के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट के लिए वेब-लिंक संबंधी एक पत्र, सटीक पथ सहित, उन सदस्यों को भेजा जाएगा, जिन्होंने कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी(ओं) के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर मतदान करने हेतु रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (**"रिमोट ई-वोटिंग"**) प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी वार्षिक आम बैठक ('ई-वोटिंग') के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में दी गई है।

यदि आपकी ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/आरटीए के पास पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे जा रहे हैं।

जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपॉजिटरी के पास अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया अपने ई-मेल पते पंजीकृत कराने के लिए नीचे दिए गए अनुदेशों का पालन करें, ताकि कंपनी द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र, एनएसीएच सूचना आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त हो सकें।

फिजिकल होल्डिंग	सदस्यगण, जिनके शेयर फिजिकल रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (फ्रंट व बैक), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) आरटीए को rites@beetalfinancial.com / beetalrta@gmail.com पर या कंपनी को cs@rites.com पर ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराएं।
डीमैट होल्डिंग	डी-मैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करके अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करा सकते हैं।

डीमैट होल्डिंगडी-मैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करके अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करा सकते हैं।

वित्त अधिनियम 2020 के उपबंधों के अनुसरण में 01 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों की लाभांश आय कर-योग्य होगी और कंपनी को शेयरधारकों को दिए गए लाभांश से निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर की कटौती करनी होगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए (फिजिकल रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) अपडेट करें।

पैन के साथ एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक, जिसके पास पैन है, और जिस पर आयकर का भुगतान करने का दायित्व नहीं है, वह स्रोत पर कर की गैर-कटौती का लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म संख्या 15जी/15एच में वार्षिक घोषणा 17 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) तक **rites@beetalfinancial.com या beetalrta@gmail.com** पर ईमेल द्वारा प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि यदि पैन पंजीकृत नहीं है, तो कर की कटौती उच्च दर पर की जाएगी।

यदि कंपनी बैंक खाते के पंजीकरण न होने के कारण किसी शेयरधारक को इलेक्ट्रॉनिक मोड से लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है, तो कंपनी ऐसे शेयरधारकों को यथाशीघ्र लाभांश वारंट/चेक भेज देगी।

फिजिकल शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विंडो

सेबी के 2 जुलाई, 2025 के परिपत्र के अनुसार, 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है, जो केवल उन फिजिकल शेयरों के हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने के लिए है, जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले दाखिल किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमियों या अन्य कारणों से अस्वीकार कर दिए गए, वापस कर दिए गए या उन पर ध्यान नहीं दिया गया। हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल किए गए शेयर, उचित प्रक्रिया पूरी करने के बाद केवल डीमैट मोड में जारी किए जाएंगे। पात्र शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना अनुरोध कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को प्रस्तुत करें।

कृते राइट्स लिमिटेड और इसकी ओर से
हस्ता/-
(अशोक मिश्रा)

स्थान: गुरुग्राम कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
तारीख: 26.08.2025 एम. नं.: F6411

We Shape What Shapes Lives www.rites.com

Future Ready — Not just more of the same; but much more of the New!

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

नवरत्न कंपनी
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
CIN: L45203DL1976GOI008171
पंजीकृत कार्यालय: C-4, जिला केंद्र, साकेत, नई दिल्ली– 110017, भारत
फोन: +91–11–26530266 फैक्स: +91–11–26854000,
वेब: www.ircon.org, ईमेल: investors@ircon.org

49वीं वार्षिक आम बैठक और ई–वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 49वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम/बैठक") **गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम")** के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जा सके। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। यह जानकारी कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में दी गई है, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र और 3 अक्टूबर, 2024 के सेबी परिपत्र (सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ा गया है।

वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वित्त वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.ircon.org** पर 'निवेशक संबंध' अनुभाग के अंतर्गत और स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, तो **बुधवार, 1 अक्टूबर, 2025** से उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम भौतिक शेयरों के संबंध में कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं और डीमैटेरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में, शेयरों के "लाभकारी मालिकों" को जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा **गुरुवार, 11 सितंबर, 2025 ("रिकॉर्ड तिथि") को कारोबारी समय के अंत में प्रदान किए गए लाभकारी स्वामित्व के विवरण में दिखाई देते हैं। लाभांश का भुगतान लागू दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती के अधीन होगा।** टीडीएस से छूट के लिए विवरण और दस्तावेज **https://einward.alankit.com/** पर **गुरुवार, 11 सितंबर, 2025 शाम 5.00 बजे** या उससे पहले ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, और एमसीए परिपत्र के अनुसार, सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दिन ई–वोटिंग) का उपयोग करके एजीएम की सूचना में दिए गए सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है।

अतः सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. **रिमोट ई–वोटिंग अवधि सोमवार, 15 सितंबर, 2025 (सुबह 9:00 बजे IST) से शुरू होगी और बुधवार, 17 सितंबर, 2025 (शाम 5:00 बजे IST)** को समाप्त होगी। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और यह सुविधा तत्काल अवरुद्ध कर दी जाएगी।
2. रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में मतदान की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि **गुरुवार, 11 सितंबर, 2025** होगी। रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान, कंपनी के शेयरधारक, जिनके पास कट–ऑफ तिथि अर्थात **गुरुवार, 11 सितंबर, 2025** को भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।
3. कोई भी व्यक्ति जिसने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाने के बाद, लेकिन अंतिम तिथि **गुरुवार, 11 सितंबर, 2025** से पहले शेयर खरीदे हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है, वह वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक /सदस्य वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लिखित दस्तावेज प्रदान करके ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेज सकते हैं।
4. वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थित/भाग ले सकते हैं, लेकिन वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
5. श्री सचिन अग्रवाल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या F5774), मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज के पार्टनर को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया है।

महत्वपूर्ण सूचना:

(क) भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः जमा करने हेतु विशेष विंडो खोलना: सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार, 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है। यह विंडो उन भौतिक शेयर हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः जमा करने के लिए है जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए थे और बाद में दस्तावेजों या प्रक्रिया में कमियों के कारण अस्वीकार कर दिए गए, वापस कर दिए गए या उन पर ध्यान नहीं दिया गया। उक्त परिपत्र के अनुसार, यदि ऐसे शेयर पुनः जमा किए जाते हैं, तो उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद केवल डीमैट रूप में ही हस्तांतरण के लिए संसाधित किए जाएँगे। इस श्रेणी में आने वाले शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी से उसकी ईमेल आईडी **investors@ircon.org** पर या अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड ("अलंकित" या "आरटीए") से उसकी ईमेल आईडी **rameshk1@alankit.com** पर संपर्क करें। उपरोक्त सेबी परिपत्र का विवरण कंपनी की वेबसाइट **https://www.ircon.org/images/file/cosecy/SEBICIRCULAR_02072025.pdf** पर भी उपलब्ध है।

(ख) 100–दिवसीय अभियान–"सक्षम निवेशक": एमसीए के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने और दावा न किए गए लाभांश और शेयरों की वसूली को सुगम बनाने के लिए 28 जुलाई, 2025 से 6 नवंबर, 2025 तक "सक्षम निवेशक" नामक एक राष्ट्रव्यापी 100–दिवसीय अभियान शुरू किया है। कंपनी के शेयरधारकों को कंपनी से समय पर और प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान अवधि के भीतर अपने केवाईसी विवरण, ईमेल पते, बैंक अधिदेश और संपर्क जानकारी, जिसमें ईमेल पते का पंजीकरण भी शामिल है, को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे कंपनी भविष्य में लाभांश का भुगतान सही दावेदार को सीधे कर सकेगी और आईईपीएफ प्राधिकरण को किसी भी दावा न की गई राशि के हस्तांतरण से बच सकेगी।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए ई–वोटिंग संबंधी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। किसी भी प्रश्न के लिए, आप **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या (सुश्री पल्लवी म्हात्रे – वरिष्ठ प्रबंधक, NSDL) को **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध भेज सकते हैं।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 अगस्त, 2025

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

सेल SAIL

इस्पात भवन, लोधी रोड
नई दिल्ली 110003
टेली: +91 11 24367481-86; फैक्स: +91 11 24367015
CIN: L27109DL1973GOI006454
वेबसाइट: www.sail.co.in; ईमेल:investor.relation@sail.in

53वें वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जैसा कि एजीएम के नोटिस में सूचीबद्ध है उसके अनुसार, निर्धारित व्यवसाय को करने हेतु, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 53वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा मंगलवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2025 को प्रातः 10:30 बजे किया जाएगा।

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों (जिन्हें सामूहिक रूप से "लागू परिपत्रों" के रूप में संदर्भित किया गया है) और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और इनके तहत लागू नियमों के अनुसार, कंपनी की एजीएम का आयोजन, मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है। शेयरधारक/सदस्य **केवल** वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित/सहभागिता कर सकते हैं जिनके विवरण एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सदस्यों की कंपनी की 53वीं एजीएम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति/सहभागिता करने का कोई प्रावधान नहीं है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

लागू परिपत्रों के अनुसरण में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिटेड वित्तीय विवरण (समेकित वित्तीय विवरणों सहित) और इस पर ऑडिटरों तथा बोर्ड की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अपेक्षित अन्य रिपोर्टों को, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे शेयरधारकों/सदस्यों को 25 अगस्त, 2025 को भेज दिया गया है जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी)/कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की हुई है। सटीक पथ सहित वेब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र, जहां 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना उन शेयरधारकों/सदस्यों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर भेजी जा रही है, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी)/कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है। लागू परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की 53वें एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना की कोई भी भौतिक प्रति, किसी भी शेयरधारक/सदस्य को नहीं भेजी गई है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट- www.sail.co.in और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

साथ ही सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सेबी के विनियमन 44 (1), (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 यथासंशोधित, के साथ पठित, के अनुसरण में, कंपनी अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे एजीएम के नोटिस में सूचीबद्ध मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। कंपनी ने अपने सदस्य को एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में "मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL)" की सेवाएं ली हैं। सदस्यों के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के बारे में निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। कोई भी सदस्य एजीएम के नोटिस को मैसर्स एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com से भी डाउनलोड कर सकता है।
एजीएम में दूरस्थ ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 9 सितम्बर, 2025 निर्धारित की गई है। कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि को दर्ज होगा केवल वही सदस्य एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग से अपना वोट डाल दिया है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं परंतु वे फिर से अपना वोट डालने के पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल उन सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने बैठक में भाग लिया है और पहले दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ नहीं उठाया है और जिन्हें मतदान से अन्यथा रोका नहीं गया है।

दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 12 सितम्बर, 2025 (सुबह 9 बजे (IST)) से शुरू होगी और सोमवार, 15 सितम्बर, 2025 (शाम 5.00 बजे (IST)) पर समाप्त होगी और इस अवधि के दौरान कंपनी के कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को NSDL द्वारा 15 सितम्बर, 2025 को शाम 5.00 बजे (IST) के बाद अक्षम कर दिया जाएगा और इसके बाद सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने और भेज देने के बाद, सदस्यों को इसे बाद में संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग के लिए अन्य विवरण और प्रक्रिया का उल्लेख एजीएम के नोटिस में किया गया है।
कोई भी व्यक्ति जो एजीएम के नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात 9 सितम्बर, 2025 को शेयर होल्ड करता है, एजीएम के नोटिस में दिए गए अनुसार लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए प्रक्रिया का पालन कर सकता है। यदि ऐसा कोई सदस्य जो ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है। सदस्य ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। ऐसे सदस्य NSDL को evoting@nsdl.com पर ईमेल भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं

कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री सचिन अग्रवाल को, जो फर्म- मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स में कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत है, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम में दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की संवीक्षा करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। मतदान के परिणाम, कंपनी की एजीएम के समापन के दो कार्य दिवस के अंदर घोषित किए जाएंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित किए गए परिणामों को, कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर "निवेशक संबंध" के तहत और NSDL की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह परिणाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) और BSE लिमिटेड (BSE) को भी भेजा दिए जाएंगे।

जो सदस्य, एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो संख्या, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, 10 सितम्बर 2025 (सुबह 9 बजे) से 12 सितम्बर 2025 (शाम 5 बजे) तक, sailagm@sail.in पर अपना अनुरोध भेजकर वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। केवल उन सदस्यों को, जिन्होंने वक्ता के रूप में स्वयं को पंजीकृत किया है, एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। कंपनी के पास, एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर बोलने वालों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन शेयरधारकों की एजीएम के दौरान बोलने की इच्छा नहीं है परंतु प्रश्न पूछना चाहते हैं, ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुपालन करते हुए प्रश्न भेज सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर, कंपनी द्वारा उपयुक्त ईमेल द्वारा दिया जाएगा।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 1.60 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि 9 सितम्बर, 2025 पर पात्र सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से इसकी घोषणा से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर स्रोत पर आयकर (टीडीएस) की कटौती के अधीन भुगतान किया जाएगा, जिनके बैंक खाते के विवरण उपलब्ध हैं।

सेबी अधिसूचना संख्या SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 दिनांक 8 जून, 2018 के अनुसार संशोधित, भौतिक/कागजी रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द अपने शेयरों को डीमैटेरियलाइज़ करें। ग्रीन पहल के हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले वे सदस्य, जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डीपी के पास अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करें। भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ईमेल पता कंपनी के आरटीए के पास पंजीकृत करें ताकि हम भविष्य में दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकें। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपने मास्टर परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/70 दिनांक 17 मई, 2023 और संशोधित परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/181 दिनांक 17 नवंबर, 2023 के माध्यम से भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों को अपना पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और उनके फोलियो के विरुद्ध नमूना हस्ताक्षर कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। 01 अप्रैल, 2024 से, उपरोक्त परिपत्र की आवश्यकताओं के अनुपालन के बाद, ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। सेल द्वारा अपने आरटीए के माध्यम से शेयरधारकों को एक सूचना भेजी जाएगी कि ऐसा भुगतान देय है और आवश्यकताओं का अनुपालन करने पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जाएगा।
आरटीए का पता: 179-180, तीसरी मंजिल, डीएसआईडीसी शेड, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज- I, नई दिल्ली -110020 है। फोन नंबर 011-41406149 है।
एजीएम के उद्देश्य से, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स, 10 सितम्बर, 2025 से 16 सितम्बर, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य, शेयरधारकों के लिए बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारक के लिए ई-वोटिंग यूजर पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध है या नं. : 022 – 48867000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए
हस्ता॰
(एम.बी. बालाकृष्णन)
कार्यपालक निदेशक
(वित्त) एवं कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 अगस्त, 2025

ixigo

ले ट्रैवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, वेरिटास बिल्डिंग, सेक्टर-53, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, भारत
सीआईएन : L63000HR2006PLC071540, टेलीफोन : +91–124–6682111
ई-मेल : secretarial@ixigo.com वेबसाइट : www.ixigo.com

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("VC")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("OAVM") के माध्यम से आयोजनार्थ निर्धारित ले ट्रैवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी लिमिटेड की उन्नसवीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में सूचना

सदस्यगण नोट करें कि ले ट्रैवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड ("कंपनी") की उन्नीसवीं वार्षिक आम बैठक ("AGM") बुधवार, 24 सितंबर 2025 को दोपहर 2:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ("VC/OAVM") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों तथा दिनांक 05 मई 2020 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 और दिनांक 19 सितंबर 2024 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 (सामूहिक रूप से "MCA Circular") और दिनांक 03 अक्टूबर 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, जिसमें AGM की सूचना में निर्धारित किये जाने वाले व्यवसायों का निष्पादन किया जाएगा।

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक आम बैठक (AGM) का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, MUFG Intime India Private Limited (*formerly Link Intime India Private Limited*) ("RTA")/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। यह नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.ixigo.com पर और RTA की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in/ (ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) पर भी उपलब्ध होगी और इसे स्टॉक एक्सचेंजों, BSE Limited और National Stock Exchange of India Limited की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है। SEBI (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 36(1)(b) के अनुपालन में, उन सदस्यों को पत्र भेजा जाएगा जिनके ईमेल पते RTA / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण देखने के लिए वेब लिंक और सटीक पथ शामिल होगा।

सदस्यगण AGM में केवल VC/OAVM सुविधा के माध्यम से भाग ले सकते हैं और AGM की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या AGM के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकेंगे। रिमोट ई-वोटिंग/AGM के दौरान ई-वोटिंग/AGM में आभासी रूप से उपस्थित होने संबंधी विस्तृत प्रक्रिया AGM की सूचना में उपलब्ध कराई जाएगी।

जिन सदस्यों का ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि उसका पंजीकरण/अद्यतनीकरण नीचे वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से करवा लें :

(क) जिन सदस्यों के शेयर डीमैट रूप में हैं, वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क कर ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन कर सकते हैं।

(ख) जिन सदस्यों के शेयर भौतिक रूप में हैं, वे RTA को enotices@in-mpms.mufg.com पर लिखित संदेश भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करवा सकते हैं।

यह सूचना MCA परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की गई है।

तिथि: 25 अगस्त, 2025
स्थान: गुरुग्राम, हरियाणा

वास्ते ले ट्रैवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी लिमिटेड
हस्ता./-

सुरेश कुमार भूटानी
(ग्रुप जनरल काउन्सिल, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)
सदस्यता सं. F6400